International Journal of

Research in Social Sciences

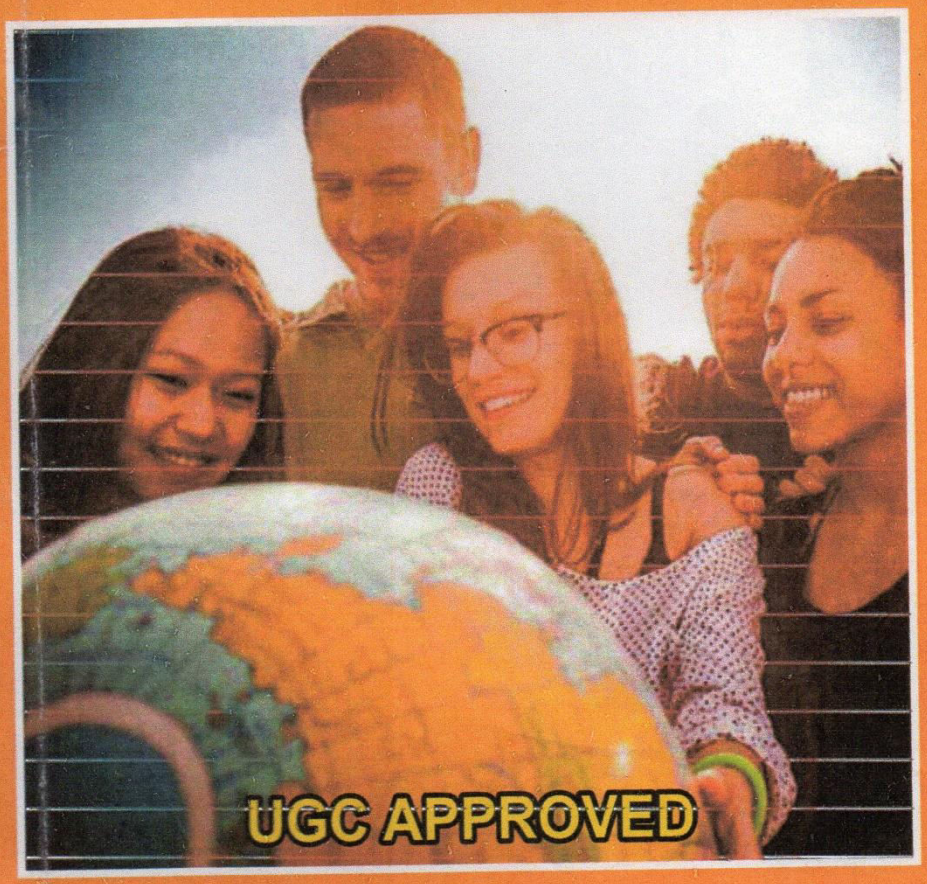

www.ijmra.us

VOL. 9 ISSUE 2 (1)
FEBRUARY 2019

(ISSN : 2249-2496)
Impact Factor : 7.081

A Monthly Double - Blind Peer Reviewed Refereed Open Access and Indexed
International Journal included in the International Serial Directories.

International Journal of Research in Social Sciences
Vol. 9 Issue 2(1), February 2019,
ISSN: 2249-2496 Impact Factor: 7.081

Contents

S. No.	Particulars	Page No.
1.	Defeating Anti-Incumbency Factor in Odisha State Assembly Elections Post-2000 Shrawan Kumar Pandey	130-135
2.	ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਚਿਤੇਰਾ : ਅਮਨਪਾਲ ਸਾਰਾ ਖੋਜਾਰਥੀ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ	136-143
3.	Analysis Of Employee Engagement And Its Impact On Job Performance Of Woman Employees In Select IT Companies In Chennai B. PUNITHA	144-154
4.	Peasantry experiences in India: Dimensions and Perspective Jay Singh Yadav	155-161
5.	पचवर्षीय योजनाएः महिला प्रगति के विशेष संदर्भ में जयश्री शुक्ला, डॉ सुजीत कुमार	162-167
6.	Impact Of Personality Traits On Work Life Balance Of Employees Dr. BinduAntoOllukkaran, Dr. Sunanda.C	168-174
7.	Online Buying Behaviour Among College Students Shakila.K., Dr. S. Anthony Rahul Golden	175-180
8.	A Dip Into Animated Societies: Is It Worth Teaching Values? Ms Usha Sharma	181-189
9.	शिक्षा पकिया के प्राथमिक लक्ष्य के रूप में संवेगात्मक बुदधिमता का विकास Mr. krishan Kumar	190-193
10.	Impact of ICT Awareness and Emotional Intelligence on Teaching Effectiveness of High School Teachers F. San George Martin, Dr. F. L. Antony Gracious	194-199

Journal Homepage: http://www.ijmra.us, Email: editorijmie@gmail.com
Double-Blind Peer Reviewed Refereed Open Access International Journal - Included in the International Serial Directories Indexed & Listed at: Ulrich's Periodicals Directory ©, U.S.A.

International Journal of Research in Social Sciences
Vol. 9 Issue 2(1), February 2019,
ISSN: 2249-2496 Impact Factor: 7.081
Journal Homepage: http://www.ijmra.us, Email: editorijmie@gmail.com
Double-Blind Peer Reviewed Refereed Open Access International Journal - Included in the International Serial Directories Indexed & Listed at: Ulrich's Periodicals Directory ©, U.S.A., Open J-Gage as well as in Cabell's Directories of Publishing Opportunities, U.S.A.

पंचवर्षीय योजनाएं: महिला प्रगति के विशेष संदर्भ में

जयश्री शुक्ला*
डॉ सुजीत कुमार**

संक्षिप्तिका
आजादी से पूर्व एवं आजादी के पश्चात् इस लंबे अंतराल में महिलाओं के प्रति दृष्टिकोण में परिवर्तन के लिए विभिन्न योजनाओं का संचालन सरकारों द्वारा समय–समय पर किया जाता रहा है। महिलाओं के प्रति आये इन परिवर्तनों का श्रेय भारतीय सरकारों द्वारा क्रियान्वित राष्ट्रीय योजनाओं एवं अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उनकी उपस्थिति हो जाता है। वर्तमान में राष्ट्रीय एवं अंतराष्ट्रीय स्तर पर महिलाओं की लैंगिकता विकास संबंधी मुद्दों पर चर्चा परिचर्चा का मुख्य विषय रही है। जिसके परिणाम स्वरूप आज राष्ट्रीय नीतियों एवं योजनाओं का निर्माण महिलाओं को मध्यस्थ में रखकर किया जा रहा है। महिला कल्याण में विकास कैसे होगा? इसका निर्धारण योजना एवं नीति निर्माताओं द्वारा किया जाता है। इन निर्माताओं का मुख्य उद्देश्य– महिलाओं की स्थिति में सुधार, भागीदारिता में बढ़ोत्तरी, अत्यधिक लाभार्थी इत्यादि। सरकार द्वारा संचालित कार्यक्रमों की रूपरेखा को योजना कहा जाता है। यह योजना किसी भी देश की आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक स्थिति में विकास एवं उन्नति की 5 वर्षों की कालावधि की रूपरेखा प्रस्तुत करती है। 5 वर्ष की इस रूपरेखा को पंचवर्षीय योजना कहा जाता है। हर 5 वर्ष बाद योजना में परिवर्तन कर नई योजनाएं बनाई जाती हैं। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ किया गया था। इस योजना के सफल संचालन के लिए सरकार ने योजना आयोग का गठन किया। योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री और उपाध्यक्ष योजना मंत्री होता। योजना आयोग का उद्देश्य होता है कि– वह देश में उपलब्ध सीमित संसाधनों का उचित उपयोग करके एक ऐसी योजनाएं बनाएं जिससे देश की उन्नति एवं विकास सर्वोत्तम हो सके। भारत की पहली पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1951 को प्रारंभ की गई थी। भारत में अब तक 12 पंचवर्षीय योजनाओं को लागू किया जा चुका है। इन योजनाओं में समय–समय पर महिलाओं से संबंधित विभिन्न पक्षों का ध्यान में रखते हुए उन्हें योजनाओं में मुख्य स्थान प्रदान किया गया है। महिला स्थिति सुधार आंदोलनों के फलस्वरूप महिलाएं अपनी सुपर पावर से घर और बाहर दोनों स्थानों पर अपना वर्चस्व स्थापित कर रही हैं।

मुख्य बिन्दु– महिला सषक्तिकरण, पंचवर्षीय योजना, लौंगिक समानता, संवैधानिक प्रवधान।

प्रस्तावना
महिलाओं के विशेषाधिकार की रक्षा करना किसी भी देश का परमदायित्व होता है। वह अपने देश की महिलाओं की रक्षा के लिए कानूनों से सम्बन्धी अभिव्यक्ति संविधान में करते है। संविधान में वर्णित धारा 14– राजनीतिक, आर्थिक व सामाजिक क्षेत्र के प्रत्येक व्यक्ति (चाहे वह स्त्री हो या पुरुष) को समान अधिकार व समान अवसर उपलब्ध कराती है। धारा 15– किसी भी व्यक्ति के साथ (चाहे वह स्त्री हो या पुरुष) लिंग, धर्म, रंग, जाति इत्यादि के आधार पर विभिन्नता को स्वीकार नहीं किया जाएगा। धारा 16– सभी नागरिकों को स्त्री या पुरुष सामान सार्वजनिक नियुक्ति का अधिकार प्रदान करती है। धारा 39– प्रत्येक व्यक्ति को (चाहे वह स्त्री हो या पुरुष) आजीविका के साधनों पर समान अधिकार एवं समान कार्य करने पर समान वेतन को सुनिश्चित करती है।(1) धारा 42– राज्य में ऐसे नियमों को बनाने का निर्देष देती है, जिससे कार्य की न्यायपूर्ण व मानवीय स्थितियों, वित्तीय एवं मातृत्व राहत को सुनिश्चित किया जा सके। धारा 51(ए) व (ई) ऐसे रिवाजों का एवं व्यवहार का विरोध करती है, जो महिलाओं के सम्मान को ठेस पहुंचाते हैं। वास्तविकता को धरातल पर क्रियान्वित करने के लिए समय–समय पर सरकार द्वारा विभिन्न कार्यक्रम एवं योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाता है।(2) इसी का परिणाम है सरकार द्वारा संचालित पंचवर्षीय योजना। यह योजनाएं महिलाओं को समानता के साथ समान अधिकार का भी कानूनी अधिकार प्रदान करती है। साथ ही साथ राज्य को उनके सकारात्मक पक्ष को प्रस्तुत करने की छूट देती हैं।

पंचवर्षीय योजनाएं
प्रत्येक पांचवर्षीय योजना का वर्षवार (महिलाओं से संबंधी प्रस्तावित योजनाएं) वर्णन इस प्रकार है–

प्रथम पांचवर्षीय योजना – सन् 1951 से 1956

मुख्य बिन्दु

1– सन् 1953 में केंद्रीय समाज कल्याण परिषद् की स्थापना द्वारा महिलाओं की समस्याएं मुख्यतः आर्थिक समस्या के उत्थान हेतु कार्य करने का था।

* ICSSR,शोधकर्ती, शिक्षा विभाग, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर, छत्तीसगढ
**एसोसिएट प्रोफेसर, शिक्षा विभाग, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर, छत्तीसगढ़